

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(3)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक: 20.8.19


**:: आज्ञा ::**

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2019-20 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित संयुक्त विधि परामर्शी का चयन योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-4 (37400-67000) GP No.-22 (8700) L-21 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र०स०	नाम अधिकारी	रिक्ति की तिथि
1.	श्री हजारी राम ज्याणी	01.04.2019

श्री हजारी राम ज्याणी, संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को पदोन्नति पर वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, न्याय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के रिक्त पद पर स्थानान्तरण/पदस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

  
(महावीर प्रसाद शर्मा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक: 20.8.19


**:: आज्ञा ::**

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2019-20 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित उप विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-21 (8200) L-20 में इनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि	क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	विनोद कुमार अग्रवाल	01.04.2019	9.	देवेन्द्र पाल मीणा	01.04.2019
2.	कैलाश राम इनानियां	01.04.2019	10.	बद्रीनारायण व्यास	01.04.2019
3.	प्रकाश गुप्ता	01.04.2019	11.	महेन्द्र कुमार बिडियासर	01.04.2019
4.	अशोक कुमार घीया	01.04.2019	12.	श्रीमती सुलेखा शर्मा	01.04.2019
5.	विजय प्रसाद शर्मा	01.04.2019	13.	नियाज मोहम्मद	01.04.2019
6.	श्रीमती नीता विजय मिश्रा	01.04.2019	14.	अशोक गुप्ता	01.12.2019
7.	हरिकृष्ण टूटेजा	01.04.2019	15.	हरिश कुमार शर्मा	01.12.2019
8.	हारून अली	01.04.2019	16.	केदारनाथ	01.02.2020

पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

  
20/8/19  
(महावीर प्रसाद शर्मा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
20.8.19  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(5)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक: 20-8-19

**:: आज्ञा ::**

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी की वर्ष 2019-20 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित सहायक विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें उप विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) L-18 में इनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि	क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	डॉ. गौरी शंकर भार्गव	01.04.2019	16	रमेश कुमार मालपानी	01.04.2019
2.	सुबान खान	01.04.2019	17	मोहन लाल गुप्ता	01.04.2019
3.	राकेश कुमार ओझा	01.04.2019	18	रमेश कुमार लखोटिया	01.04.2019
4.	मनोज कुमार शर्मा	01.04.2019	19	ओमप्रकाश शर्मा	01.04.2019
5.	कुशलचन्द्र	01.04.2019	20	शैलेश कुमार	01.04.2019
6.	शंकर सिंह देवड़ा	01.04.2019	21	दीन दयाल वर्मा	01.04.2019
7.	राम भरोसी शर्मा	01.04.2019	22	हेमराज	01.04.2019
8.	गोपाल लाल शर्मा	01.04.2019	23	चन्द्रशेखर शर्मा	01.04.2019
9.	राजीव कुमार गर्ग	01.04.2019	24	कपिल महर्षि	01.04.2019
10.	अरविन्द सिंह राजपुरोहित	01.04.2019	25	संजय माथुर	01.06.2019
11.	मनीष कुमार उपाध्याय	01.04.2019	26	चन्द्र शेखर गौड़	01.12.2019
12.	बरकत उल्लाह सुल्तानी	01.04.2019	27	योगेन्द्र कुमार दाधीच	01.12.2019
13.	महेन्द्र कुमार	01.04.2019	28	रमेश कुमार आर्य	01.02.2020
14.	सुनील कुमार गुप्ता	01.04.2019	29	कैलाश चन्द स्वर्णकार	01.02.2020
15.	विरेन्द्र सिंह यादव	01.04.2019			


पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। सर्व श्री शुभकरण एवं श्री ब्रह्म कुमार सोनी के संतान संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

**राज्यपाल महोदय की आज्ञा से**

  
(महावीर प्रसाद शर्मा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
20-8-19  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(6)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक: 20.8.19.


**:: आज्ञा ::**

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत सहायक विधि परामर्शी की वर्ष 2018-19 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.10.2018 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ विधि अधिकारी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें सहायक विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-16 (6000) L-15 में इनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि	क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	सीमा माहेश्वरी	01.04.2019	11.	चन्द्रशेखर व्यास	01.04.2019
2.	अजीत कुमार मरौठी	01.04.2019	12.	रणवीर सिंह शेखावत	01.04.2019
3.	चांद कुमार पालीवाल	01.04.2019	13.	रमेश चन्द पवार	01.04.2019
4.	ओम प्रकाश शर्मा	01.04.2019	14.	महेन्द्र पाल सिंह	01.04.2019
5.	अमर सिंह बगड़िया	01.04.2019	15.	अशोक कुमार टेलर	01.04.2019
6.	कंवरी लाल सोनी	01.04.2019	16.	उषा शर्मा	01.04.2019
7.	प्रताप सिंह राठौड़	01.04.2019	17.	कल्पना शर्मा	01.04.2019
8.	पवन चावला	01.04.2019	18.	गौतम आचार्य	01.04.2019
9.	गजेन्द्र सिंह जाट	01.04.2019	19.	मंजु बाला किराडु	01.04.2019
10.	संग्राम करनावत	01.04.2019	20.	राजसिंह	01.04.2019


पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

  
(महावीर प्रसाद शर्मा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
20.8.19  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव